फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हजारी पिता गोरिया नाई निवासी आसावरा, तहसील भदेसर

बनाम

श्रीमति मंजू देवी पत्नि पूरणमल लोढ़ा निवासी आसावरा, तहसील भदेसर

प्रकरण संख्या 22/2018 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। पेशी दिनांक 25.07.2024 पर उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने पर उभय पक्ष को न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी आज भी उभय पक्ष बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष मे से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	